18

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा सोनभद्र के कार्यालय का पत्रांक–1753/ ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक–11.01.2021 द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में दिनांक–05.06.2021 को 400 के0वी0 ओबरा ली0लो विद्युत पारेषण लाईन का संयुक्त निरीक्षण किया गया। जिसमें पाया गया कि 400 के0वी0 ओबरा ली0लो विद्युत पारेषण लाईन का निर्माण हेतु भारत सरकार के पत्र संख्या–8बी/ 04/1692/98/एफ0सी0 दिनांक–08.03.1999 तत्कम में उप सचिव उ00 शासन के आदेश संख्या– जी0आई–322/14–2–99/700(2)/97 दिनांक–01.10.1999 द्वारा 20 वर्षो के लिए उ0प्र0 पावर ट्रांशमिशन कारपोरेशन लि0 वाराणसी को लीज पर हस्तान्तरित की गयी थी, जिसकी लीज अवधि दिनांक–02.10.2019 को समाप्त हो चुकी है। जिसका लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव ''परिवेश'' पोर्टल के माध्यम से (प्रस्ताव संख्या–FP/UP/TRANS/44753/ 2020) दिनांक–22.07.2020 को आवेदन किया गया तथा अधिशासी अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड, गाजीपुर के कार्यालय का पत्रांक–07/वि0प्रे0खं0–गा0/ दिनांक– 04.01.2021 को प्रस्ताव हार्ड कापी में प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा के कार्यालय में प्रेषित किया गया। 400 के0वी0 ओबरा ली0लो विद्युत पारेषण लाईन का पूर्व में स्वीकृत लीज में धारा 4 में विज्ञापित भूमि को वन भूमि मानते हुए कुल 19.968हे0 क्षेत्र का प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किया गया था, तत्कम में भारत सरकार/उ0प्र0 सरकार द्वारा 19.968 हे0 क्षेत्र को 20 वर्ष के लिए लीज पर दिया गया। अवगत कराना है कि धारा 4 में विज्ञापित क्षेत्र के सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक–20.11.1986 द्वारा दिये गये निर्देश के कम में हुए सर्वे सेटिलमेन्ट की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात विज्ञप्ति संख्या–1136/81-2-2020-20(5)-2019 दिनांक 15.06.2020 द्वारा ग्राम–बिल्ली मारकुण्डी में धारा 20 की अधिसूचना निर्गत किया जा चुका है। ग्राम–बिल्ली मारकुण्डी में धारा 20 की अधिसूचना के अनुसार 400 के0वी0 ओबरा लीलो विद्युत पारेषण लाईन में ग्राम–बिल्ली मारकुण्डी में 7.5118हे0 वन भूमि प्रभावित हो रहा है। जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

क0सं0	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल
1	बिल्ली मारकुण्डी	6010/6013/6014	0.3453
2	बिल्ली मारकुण्डी	5924	0.1454
3	बिल्ली मारकुण्डी	6221मि0	4.7087
4	बिल्ली मारकुण्डी	5116	0.7521
5	बिल्ली मारकुण्डी	5511मि0,5504	0.1723
6	बिल्ली मारकुण्डी	5586मि0, 5587, 5631	0.5252
7	बिल्ली मारकुण्डी	2327ख	0.6120
8	बिल्ली मारकुण्डी	2328ख	0.2508
		योगः–	7.5118हे0

अतः 400 के0वी0 ओबरा ली0लो0 विद्युत पारेषण लाईन का पूर्व में स्वीकृत लीज 19.968हे0 के स्थान पर, धारा 20 की अधिसूचना के अनुसार वर्तमान में 7.5118हे0 वन भूमि प्रभावित हो रहा है, जिसका लीज नवीनीकरण किया जाना है।

(रमेश कुमार पाण्डेय)
वन रक्षक / बीट प्रभारी, डाला।

(त्रिलोकी दूबे)
वन दरोगा/सेक्शन प्रभारी, चोपन।

(राम कुमार)
अवर अभियन्ता
वि0प्रे0 उपखण्ड, III
रावर्टसगंज।

(राजेश कुमार सोनकर)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
डाला।

(एस0 के0 सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
विद्युत प्रेषण खण्ड
उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड
गाजीपुर

(... कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
विद्युत प्रेषण उपखण्ड
उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड
राबर्टसगंज-सोनभद्र

प्रभागीय वन अधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा–सोनभद्र